न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 04/2017

प्रार्थी–
हरीराम पुत्र नगाजी जाति लोहार
निवासी खण्डप तहसील सिवाना
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. ग्राम पंचायत खण्डप जरिये सरपंच
2. सुकी देवी पत्नी राणाराम जाति लोहार निवासी खण्डप द्वारा भरत कुमार पुत्र राणामल लुहार निवासी राधाकृष्ण साड़ी सेन्टर सायला तहसील सायला जिला जालोर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध पट्टा सं. 42 पत्रावली सं. 21/12–13 दिनांक 22.08.2013 जो विप्रार्थी सं. 02 के पक्ष मे ग्राम पंचायत खण्डप के द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गजेसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा सं. 42 दिनांक 22.08.13 को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 04 दिनांक 20.04.2013 के अनुसरण मे नियम 157(ख) राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत पुराने आवास ग्रहों के नियमितीकरण के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आबादी भूमि मे से माप 816.78 वर्गगज का पट्टा सं. 42 दिनांक 22.8.13 जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी इस पट्टा के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। ग्राम पंचायत खण्डप

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से निगरानीधीन रेकर्ड तलब किया जो उपलब्ध नही होना अवगत कराते हुए प्रस्तुत नही किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा ग्राम खण्डप की आबादी भूमि मे से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे भारी विधि एवं तथ्यों की भूल की है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आलौच्य पट्टा अधीन भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीनी सं. 2 के पति स्व0 राणाराम की संयुक्त खरीद एवं कब्जाशुदा है जिसे प्रभु, भारता पि0 सवाजी, ढलाराम पुत्र चिमनाजी, मु0 हंजा बेवा बाबरिया जाति रबारी निवासी खण्डप से जरिये ईकरारनामा खरीद किया गया था। प्रार्थी अपने कारोबार के लिए ग्राम खण्डप से बाहर रहता है, इस स्थिति का फायदा उठाकर अप्रार्थीनी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के मिलावट कर संयुक्त स्वामित्व के भूखण्ड का पट्टा स्वंय के नाम जारी करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त पट्टा नियम 157(ख) के तहत पुराने आवासग्रहों के नियमितीकरण के अन्तर्गत जारी किया गया हैं जबकि अप्रार्थीनी सं. 2 का कोई पुराना कब्जा नही है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा अधीन भूखण्ड का विक्रय पत्र निष्पादित कर उप पंजियक कार्यालय मे पंजीयन करवाया है जबकि विक्रय पत्र नियम 156 के तहत जारी किया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 142 से 149 की घोर अवहेलना की हैं। प्रार्थी सं. 1 के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा स्थल का मौका निरीक्षण नहीं किया गया और न ही अन्तिम विनिश्चय से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस प्रकार विहित प्रक्रिया एवं नियमों के विरूद्ध जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

5. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे पट्टा संख्या 42 दिनांक 22.08.2013 जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम मे अंकित नियमों की पूर्ण पालना की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा अधीन भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का निर्माण नही है बल्कि इस भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दो भाग मे आवासीय मकान का निर्माण करवाया गया है । अप्रार्थी सं. 2 द्वारा मकान के एक भाग को किराये पर भी दिया गया जो वर्ष 2010 से 2015 तक किरायेदार उम्मेदसिंह के कब्जे मे रहा तथा उक्त किरायेदारी समाप्त होने पर अप्रार्थी सं. 2 के आधिपत्य में हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पट्टाशुदा एवं कब्जाशुदा भूखण्ड मकान मे प्रार्थी व अन्य द्वारा अनावश्यक दखलदांजी करने पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा एक सिविल वाद सं. 07/2015 बअनवान वादीनी सुकीदेवी बनाम प्रतिवादीगण मंगलाराम व अन्य

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत किया। इस सिविल वाद मे प्रार्थी द्वारा अपने जवाबदावा मे कथन किया है कि विवादित भूखण्ड मेरे पिता नगारामजी का था जबकि निगरानी के पद सं. 1 मे प्रार्थी उक्त जायदाद को दिनांक 30.06.1994 को प्रभु वगैरह से क्रय करना कथन करता हैं। इस प्रकार दोनो न्यायालयों के समक्ष विवादित भूखण्ड के बाबत अलग–अलग कथन किये जा रहे हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड व मकान पर प्रार्थी ने अपनी पत्नी के नाम पुनः नया पट्टा सं. 82 दिनांक 24.10.2014 भी जारी करवा दिया। अप्रार्थी सं. 2 को उक्त पट्टा सं. 82 की जानकारी होने पर आपराधिक मुकदमा सं. 125/10.08.2017 पुलिस थाना समदड़ी मे दायर करवाया गया जो अनुसंधान में हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा अधीन भूखण्ड की पत्रावलियां खुर्द बुर्द कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दूसरा पट्टा प्रार्थी की पत्नी जयश्री के नाम जारी किया गया हैं जो एक षडयंत्र के रूप मे अप्रार्थी सं. 1 के पट्टा को गलत साबित करने का प्रयास किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा विधिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की अवैधता नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 04 दिनांक 20.04.2013 के अनुसरण मे नियम 157(ख) राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत पुराने आवास ग्रहों के नियमितीकरण के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आबादी भूमि मे से माप 816.78 वर्गगज का पट्टा सं. 42 दिनांक 22.8.13 जारी किया गया हैं। इसके अनुसरण मे विक्रय पत्र का निष्पादन अप्रार्थी सं. 1 तत्कालीन सरपंच श्री मदनसिंह द्वारा करते हुए उप पंजियक कार्यालय मे पंजीबद्ध करवाया हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी उक्त पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली इस न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वर्तमान ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत खण्डप ने अपने पत्र दिनांक 29.10.2017 के द्वारा अवगत कराया हैं कि ग्राम पंचायत कार्यालय मे उक्त पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नही है और न ही उसे चार्ज मे दी गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने जवाब के संलग्न प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण सं. 125/10.08.2017 पुलिस थाना समदड़ी मे थानाधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवाना के समक्ष प्रस्तुत अनुसंधान की तथ्यात्मक रिपोर्ट मे यह उल्लिखित किया हैं कि पूर्व सरपंच मदनसिंह व ग्रामसेवक विजय कुमार द्वारा पूर्व पट्टा की जानकारी होते हुए भी इसी भूखण्ड का दूसरा पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टों का रेकर्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही होने से अनुसंधान मे मुल्जिम मदनसिंह व विजय कुमार के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया। थानाधिकारी समदड़ी की इस तथ्यात्मक रिपोर्ट से अप्रार्थी सं. 2 के इस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आलौच्य पट्टा विलेख का भी संदिग्ध होना प्रकट होता है क्योंकि आपराधिक प्रकरण मे आरोपी सरपंच मदनसिंह द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे भी बिना किसी स्थानीय जांच एवं प्रक्रिया के पालन द्वारा पट्टा जारी किया गया हैं। थानाधिकारी द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट मे यह अंकित किया हैं कि अप्रार्थीनी सं. 2 के पति राणमल व प्रार्थी हरिराम ने साथ–साथ व्यापार करते हुए विवादित भूखण्ड को क्रय किया तथा दोनो भाईयों ने मिलकर उक्त प्लॉट पर एक ही नक्शे से दो मकान साथ मे ही बनाये हैं जिसकी मौके के फोटोग्राफ को देखने से ताईद होती हैं। इससे प्रकट होता हैं कि प्रार्थी के भूखण्ड व उस पर निर्मित मकान का आलौच्य पट्टा प्रार्थी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जारी किया गया हैं। आलौच्य पट्टा विलेख कुल 816.78 वर्गगज का नियम 157(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुराने आवास गृहों के नियमितीकरण के तहत जारी किया गया है जो कि प्रथमदृष्ट्या ही नियम विरूद्ध हैं। यद्यपि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा नियम विरूद्ध जारी इस पट्टा से सम्बन्धित पंचायत की पत्रावली भी उपलब्ध नही होने से अवलोकन नही किया जा सका हैं किन्तु मौके की अवस्थिति एवं पट्टा विलेख मे उल्लेखित नाप व क्षेत्रफल अनुसार आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी होना स्पष्ट प्रतीत हो रहा हैं। इस आधार पर ग्राम पंचायत खण्डप की बैठक दिनांक 20.04.2013 के संकल्प सं. 04 एवं उसके अनुसरण मे जारी किया गया पट्टा सं. 42 दिनांक 22.08.2013 बहाल रखा जाना विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा बैठक दिनांक 20.04.2013 के संकल्प सं. 04 एवं उसके अनुसरण मे अप्रार्थीनी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा सं. 42 दिनांक 22.08.2013 निरस्त किया जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर